



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW

दिनांक: 20.09.2024

श्री विशाल सिंह,
जिलाधिकारी,
जिला-भदोही,
कलेक्टोरेट कैम्पस, सरपतहा, ज्ञानपुर,
भदोही-221304, उत्तर प्रदेश,
ई-मेल: dmsrn@nic.in
फोन नं. 5414-251578

विषय: जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, जिला-भदोही, ग्राम-दलापुर, पोस्ट-गोहीलाव, तहसील-औरई, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश-221402 से दिनांक 09.10.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 20.11.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 04.10.2024 को 02:00 बजे** सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW

दिनांक: 20.09.2024

कमलेश कुमार गोंड,
जिलाध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, भदोही,
ग्राम-दलापुर, पोस्ट-गोहीलाव,
तहसील-औराई, जिला-भदोही,
उत्तर प्रदेश-221402

विषय: जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, जिला-भदोही, ग्राम-दलापुर, पोस्ट-गोहीलाव, तहसील-औराई, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश-221402 से दिनांक 09.10.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 04.10.2024 को 02:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।